



न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

डिगारकेशन अपील वाद सं०-०५/२०१४-१५

मोहम्मद रजा बनाम शिव मोची एवं अन्य

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|-------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| ४७ ३/१४ | <p align="center">आदेश</p> <p>प्रस्तुत अपील वाद रजा, पिता मोहम्मद ईसरैल, ग्राम-नबीनगर, पो०-बेलौरी, थाना-दुल्हनबाजार, जिला-पटना ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के सीमांकन वाद सं० १७/२०१४-१५ मोहम्मद रजा बनाम शिव मोची जमैरह में दिनांक ०१.०९.२०१४ को पारित आदेश के विरुद्ध बंगाल सर्वे एक्ट की धारा-५९ के अंतर्गत, दिनांक १४.०३.२०१५ को अपील-आवेदन, दाखिल हुआ।</p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक १९.०३.२०१५ को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर, निम्न न्यायालय का अभिलेख मांग किया गया। अगली तिथि १२.०५.२०१५ निर्धारित की गई। दिनांक १२.०५.२०१५ को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। दिनांक २२.०२.२०१८ को अपीलकर्ता उपस्थित हुए, परन्तु पुकारने पर अनुपस्थित पाया गया। उन्हें अंतिम मौका देते हुए, अगली तिथि २७.०३.२०१८ निर्धारित किया गया। दिनांक २७.०३.२०१८ को अपीलकर्ता चेतावनी के बाद भी अनुपस्थित गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को उक्त वाद के संचालन में कोई अभिरुचि नहीं है।</p> <p>इसलिए अपील-आवेदन को विना गुण-दोष के खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p align="center">  समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना। </p> <p align="center">  समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना। </p> | |